एन. नागराजा आदि

बनाम

वसंत के. गुडोडागी एवं अन्य

अप्रैल 24, 1990

[रंगनाथ मिश्रा और के. रामास्वामी, न्यायाधिपतिगण]

सिविल सेवाएँ : कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (पदोन्नति, वेतन और पेंशन का विनियमन) नियम 1973:

नियम 2 - भूतलक्षी पदोन्नति - क्या अनुमेय है।

अपीलार्थी एक व्याख्याता के रूप में राज्य सरकार के अधीन सेवा में शामिल हुआ। बाद में उसे सहायक निदेशक के रूप में युवा सेवा निदेशालय में प्रतिनियुक्त किया गया और बाद में उक्त पद पर उसकी पुष्टि की गई। 27 मार्च, 1978 को उसे अस्थायी रूप से छह महीने की अवधि के लिए उप निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था और 20 दिसंबर, 1978 को एक आदेश दिया गया था जिसमे उसके 27 मार्च, 1978 से नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 को सीधे उप निदेशक के रूप में 28.7.1978 को भर्ती किया गया था, 7.8.1978 पर सेवा में शामिल हुआ और 7.8.1980 को पुष्टि की गई।

25 जनवरी, 1983 को एक एक श्रेणीकरण सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 1 से ऊपर दिखाया गया था और उसने अपील पर वरिष्ठता का दावा करके इस नियुक्ति के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया था। इसे स्वीकार नहीं किया गया और मसौदा सूची में दिखाई गई स्थिति को यथावत रखते हुये 14 सितंबर, 1983 को एक अंतिम श्रेणीकरण सूची प्रकाशित की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी से वरिष्ठ था क्योंकि अपीलार्थी के पक्ष में 27 मार्च, 1978 की पदोन्नति एक अस्थायी उपाय था और छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, अपीलार्थी वास्तव में उप निदेशक के रूप में जारी नहीं था, और इसलिए सरकार द्वारा जारी 20 दिसंबर, 1978 का आदेश राज्य में प्राप्त विशेष नियमों के मददनजर नियमित पूर्वव्यपपी पदोन्नति प्रदान नही कर सकता है। इसलिए हमने अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 से नीचे दिखाकर वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया।

न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी और साथ ही राज्य सरकार इस न्यायालय में अपील दायर की।

अपीलों को खारिज करते हुए, इस न्यायालय, ने अभिनिर्धारित किया :

1. न्यायाधिकरण ने पाया है कि कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (पदोन्नति, वेतन और पेंशन का विनियमन) नियम 1973 के तहत कोई भी पूर्वव्यापी पदोन्नति तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि स्थिति नियम 2 के विभिन्न खंडों के अंतर्गत न आती हो, और यह कि वर्तमान मामला नियम 2 द्वारा कवर नहीं किया गया था और इसलिए, 27.3.1978 से पूर्वव्यापी पदोन्नति देने का 22 दिसंबर, 1978 का आदेश उचित नहीं था। [698 बी-सी]

2. दिनांक 27.3.78 से 22.12.1978 के बीच स्थानांतरण आदेश देकर अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 से उपर रखने का प्रयास किया गया । अपीलार्थी यूथ कर्नाटक के संपादक थे, जब उनकी सहायक निदेशक के रूप में पुष्टि की गई थी और

न्यायाधिकरण ने दर्ज किया है कि उसने कभी भी सहायक निदेशक के रूप में काम नहीं किया। न्यायाधिकरण ने जो निष्कर्ष निकाला उसे गलत नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इसके आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [698 डी - ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 977 & 978 / 1988

(आवेदन संख्या 4743/1986 (टी) में कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बैंगलोर के निर्णय और आदेश दिनांक 17.12.1987 से।)

पी. पी. राव, आर. बी. दातार, एस. आर. भट, पी. चौधरी, पी. आर. रामेश और आर. पी. वाधवानी, पक्षकारो के लिये उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय रंगनाथ मिश्रा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था। रंगनाथ मिश्रा, जे. ये विशेष अनुमति द्वारा की गई अपीलें हैं, पहली नागराजा मुख्य प्रतियोगी द्वारा, और दूसरी कर्नाटक राज्य द्वारा कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देने वाली है जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 1 की अंतर - वरिष्ठता के दावे को स्वीकार कर लिया है।

राज्य के युवा सेवा निदेशालय में सहायक और उप निदेशक के पद है। अपीलार्थी नागराजा 6.9.1966 को एक व्याख्याता के रूप में राज्य सरकार के तहत सेवा में शामिल हुए और 18 अगस्त, 1976 से 'यूथ कर्नाटक' के संपादक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर आए। संपादक के रूप में काम करते हुये उनकी युचा निदेशालय में सहायक निदेशक के रूप में पुष्टि की गई। 27 मार्च, 1978 को, नागराजा को 6 महीने की अवधि के लिये अस्थाई रूप से उपनिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। 20 अक्टूबर, 1978 को नागराजा को नियमित तौर पर उपनिदेशक के रूप में पदोन्नत

करते हुये आदेश जारी किया गया था और दिनांक 22/12/1978 को उसकी नियुक्ति दिनांक 27/3/1978 से नियमित आधार पर की गई थी।

गुडोडागी, प्रतिवादी नंबर 1, को सीधे उप निदेशक के रूप में दिनांक 28/7/1978 को भर्ती किया गया था। उसने दिनांक 7/8/1978 को उपस्थिति थी और दिनांक 7.8.1980 को उक्त पद पर उसकी पुष्टि की गई थी। ड्राफट ग्रेडेशन सूची 25/1/1983 को प्रकाशित की गई थी जिसमे नागराजा को गुडोडागी से ठीक ऊपर दिखाया गया था। तदनुसार उसने नागराजा पर वरिष्ठता का दावा करके इस नियुक्ति के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया और जब इसे स्वीकार नहीं किया गया और अंतिम स्नातक सूची 14 दिसंबर, 1983 को मसौदा सूची में दिखाई गई स्थिति को बनाये रखते हुये प्रकाशित की गई, तो गुडोडागी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन पर इसे स्थानांतरित कर दिया गया था।

पक्षकारों की सुनवाई पर न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि 27 मार्च 1978 को पदोन्नति के रूप में गुडाडागी नागराजा से वरिष्ठ थे। नागराज के पक्ष में एक अस्थायी उपाय था और छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, नागराजा वास्तव में उप निदेशक के रूप में जारी नहीं रह रहे थे। दिसंबर, 1978 का आदेश राज्य में प्राप्त विशेष नियमों को देखते हुए नियमित भूतलक्षी पदोन्नति प्रदान नहीं कर सका। तदनुसार, न्यायाधिकरण ने नागराजा को गुडोडागी से नीचे दिखाकर वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। इसके बाद, ये दो अपीले दायर की गई हैं - एक नागराजा द्वारा और दूसरी कर्नाटक राज्य द्वारा।

27 मार्च, 1978 का पदोन्नत का आदेश इस प्रकार पठनीय हैः

"कर्नाटक लोक सेवा आयोग के साथ विचाराधीन परामर्श के बाद, श्री एन. नागराजा, सहायक निदेशक, युवा सेवाओ को अस्थाई रूप से 6 साल की अवधि के लिये

युचा सेवा विभाग में 900-1750 रूपये वेतनमान में उपनिदेशक, युवा सेवायें विभाग के रूप में पदोन्नत किया जाता है। पद का कार्यभार संभालने की तारीख से तत्काल प्रभाव से तीन महीने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।"

न्यायाधिकारण ने पाया है कि नागराजा ने 13 अप्रैल, 1978 को उपनिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था और 6 महीने की अवधि दिनांक 13 अक्टूबर, 1978 को समाप्त हो गई थी। उनकी नियमित पदोन्नति दिनांक 20 अक्टूबर, 1978 को अधिसूचित की गई थी। इसलिये, न्यायाधिकरण ने 13 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच नागराजा को उपनिदेशक के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उस स्थिति से निपटने के लिये 22 दिसंबर, 1978 की अधिसूचना जारी की गई, जो इस प्रकार पठनीय है:

सरकारी अधिसूचना दिनांक 23/3/1978 के क्रम में श्री एन नागराजा युवा सेवाओ के सहायक निदेशक को युवा सेवाओं के उपनिदेशक, के रूप में दिनांक 27/3/1978 [यानि कि पहली तारीख, जब से उसे इस पद पर कार्य करने के लिये पदोन्नत किया गया था] से कार्य करने के लिये नियमित रूप से पदोन्नत किया गया था।

न्यायाधिकरण ने पाया है कि कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (पदोन्नति, वेतन और पेंशन का विनियमन) नियम 1973 के अंतर्गत, कोई भी भूतलक्षी पदोन्नति स्वीकार्य नहीं है जब तक कि स्थिति नियम 2 के विभिन्न खंडो के अंतर्गत न आती हो। न्यायाधिकरण के अनुसार, वर्तमान मामला नियम 2 के अंतर्गत नहीं आता था और इसलिये, दिनांक 27/3/1978 से भूतलक्ष्ी पदोन्नति देने का 22/12/1978 का आदेश उचित नहीं था। एक बार जब वह अधिसूचना जारी हो जाती है, तो गुडोडागी दिनांक 7/8/1978 से सीधी भर्ती होने के कारण वरिष्ठता के हकदार होंगे।

हमने बार में दी गई दलीलों के संदर्भ में न्यायाधिकरण के फैसले की विश्लेषणात्मक रूप से जांच की है। हमने उपर उल्लिखित नियम 1973 के प्रावधानो

को भी देखा है और न्यायाधिकरण द्वारा जो लिया गया है उससे अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। तिथियों के संदर्भ में घटनाक्रम से यह धारणा बनती है कि दिनांक 27/3/1978 से 22/12/978 के बीच स्थानातंरण आदेश देकर नागराजा को गुडोडागी से उपर रखने का प्रयास किया गया था। नागराजा यूथ कर्नाटक के संपादक थे, तब भी जब उन्हें सहायक निदेशक के रूप में पुष्टि की गई थी और न्यायाधिकरण ने दर्ज किया है कि उनहोने कभी भी सहायक निदेशक के रूप में काम नहीं किया। मामले के व्यापाक पहलुओं को ध्यान में रखते हुये हम संतुष्ट है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निष्कर्षों को गलत नहीं कहा जा सकता है और इसलिये, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपीलें खारिज की जाती हैं। लागत के संबंध में कोई नहीं होगा।

अपीले खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।